सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/18 **निर्णय दिनांकः 23.04.2018**

1. आसूसिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत निवासी पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22—06—1983
आवंटन अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील आवंटन अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 22—06—1983 जिसके द्वारा अपीलांट का टी.सी. आवंटन खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को तहसील पूगल के खसरा नम्बर 107 में 25 बीघा भूमि का टीसी आवंटन हुआ था। अपीलांट के टीसी आवंटन को आवंटन अधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट् ग्राम पूगल का सद्भावी निवासी होना प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया जाता है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट् ने कथन किया कि अपीलांट का जब टीसी आवंटन किया गया था तत्समय आवंटन से संबंधित तमाम नियम व वांछित दस्तावेजों की पूर्ति अपीलांट द्वारा की गई थी व उसी आधार पर अपीलांट् को वादगत् भूमि टीसी में आवंटित की गई थी। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जिसमें अभिलिखित है कि सायल के पिता का नाम निर्वाचन सूची गांव पूगल सन् 1958 में दर्ज नहीं है जबकि उक्त रिपोर्ट के दूसरी तरफ यह रिपोर्ट की जाती है कि सायल के पिता के नाम चक 5 एडी में 11 बीघा कमाण्ड व चक 9 एसएम में 13 बीघा कमाण्ड कुल 24 बीघा कमाण्ड टीसी आवंटन है। इस प्रकार दोनों तथ्य अपने आप में विरोधाभासी कथन है। अपीलांट् को वर्ष 1958 का सद्भावी काश्तकार मानते हुए आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 1958 की मतदाता सूची उपनिवेशन में आवंटन शुरू किया गया था तत्समय उस सूची को राजस्थान सरकार सचिवालय भिजवा दिया गया था इसकी रिपोर्ट लेने की जिम्मेदारी विभाग स्वयं की थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई प्रयास अपने स्तर पर नहीं किया गया है। जबकि लूणकरनसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 1980 भाग संख्या 8 का क्रमांक संख्या 462 तक अपीलांट के पिता रामसिंह पुत्र बख्तावर सिंह का नाम अंकित है। जिससे साबित है कि अपीलांट तहसील पूगल का सद्भावी निवासी था व है। आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि राजस्थान का कोई भी मूल निवासी या उसका पिता का नाम लगातार 10 वर्षो से अधिक निर्वाचन सूची में नाम है तो उसे वहॉ का मूल निवासी माना जायेगा।

अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अदालत मातहत ने अपीलांट का टीसी आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया ना ही सबूत आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। लिहाजा आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट का खसरा नम्बर 107 की तादादी 25 बीघा भूमि का टीसी आवंटन को पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट लगातार 22—06—1983 से नकल प्राप्त करने के प्रयास करता रहा है। अपीलांट का कहा जाता रहा कि पत्रावली जमा नहीं है। इसलिए नकल नहीं दी जा सकती। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, पूगल के यहॉ काफी तलाश के उपरान्त पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 04—12—2017 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो नकल बाद तैयारी दिनांक 21—12—2017 को प्राप्त हुईं अतः अपील जानकारी के दिन से अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार करते हुए डिले को कण्डोन किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—1983 के विरूद्व अपील दिनांक 26—12—17 को पेश की है। जोकि 34 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित

भूमि टीसी आवंटन थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टीसी आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट तहसील पूगल का सद्भावी निवासी होना नहीं पाया जाता है जबकि टीसी आवंटन हेतु सद्भावी निवासी होना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के टीसी आवंटन को खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की है। अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को वादगत् भूमि ग्राम पूगल के खसरा नम्बर 107 की तादादी 25 बीघा भूमि का टीसी आवंटन जरिये लॉटरी दिनांक 29—06—1982 को किया गया था। उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22—06—1983 को यह कथन करते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट तहसील पूगल का सद्भावी निवासी नहीं है अतः अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों व रिपोर्ट पटवार हल्का में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट व उसका पिता का नाम निर्वाचन सूची ग्राम पूगल वर्ष 1968 में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार पूगल द्वारा प्रस्तुत अपीलांट के फोटो फार्म में भी तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि प्रार्थी पूगल का सद्भावी निवासी प्रमाणित नहीं है।

(3) अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजात् यथा निर्वाचन सूची 1980 भाग संख्या 8, मूल निवासी प्रमाण पत्र वर्ष 1994, वोटर आईडी वर्ष 1995, आधार कार्ड आदि तमाम दस्तावेजात् उसके आवंटन के पश्चातवर्ती् दस्तावेजात् है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि वह वर्ष 1958 में तहसील पूगल का सद्भावी निवासी प्रमाणित हो।

(4) इसी प्रकार प्रकरण में आदेशिका दिनांक 22—06—1983 में पटवारी रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि सायल द्वारा रकबा काश्त नहीं है। जबकि टीसी आवंटन इसी आधार पर किया जाता है कि वह आवंटित रकबे पर काश्त करते हुए काबिज हो। अतः प्रस्तुत मामलें में एक तरफ तो अपीलांट तहसील पूगल का सद्भावी निवासी होना प्रमाणित नहीं है व दूसरी तरफ उसके द्वारा उसे टीसी में आवंटित भूमि पर काश्त भी नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांट टीसी आवंटन की तमाम शर्तो की पूर्ति करने में असफल रहा है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

(5) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—1983 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 26—12—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 34 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र यह कथन कि अपीलांट वर्ष 1983 से लगातार नकल प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा, देरी को कण्डोन करने का पर्याप्त कारण नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट के उक्त कथन को बल प्राप्त हो या न्यायालय को प्रतीत हो कि वास्तव में उसके द्वारा पत्रावली की नकल आदि प्राप्त करने का कोई भरसक प्रयास किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर गुणावगुण पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश आवंटन अधिकारी, पूगल दिनांक 22—06—1983 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर